



दिनांक 07.03.2024

प्रेस विज्ञप्ति 07 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० की पुलिस महानिदेशक एस०एस०बी० से शिष्टाचार भेंट

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० से आज दिनांक 07.03.2024 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में पुलिस महानिदेशक एस०एस०बी० श्री दलजीत सिंह चौधरी द्वारा शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी गयी तथा प्रतीक चिन्ह भेंट किये गये।

मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस और एस०एस०बी० के मध्य समन्वय बनाने हेतु उत्तर प्रदेश के इण्डो नेपाल बार्डर पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रभावी गश्त, चेकिंग एवं पेट्रोलिंग के सम्बन्ध के सम्मिलित प्रयास की रणनीति तथा आगामी लोक सभा चुनाव एवं सामरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की गयी।





पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की चीफ पोस्ट मास्टर जी0पी0ओ0 लखनऊ
से शिष्टाचार भेंट

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से आज दिनांक 07.03.2024 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में चीफ पोस्ट मास्टर जी0पी0ओ0 लखनऊ श्री सुशील कुमार तिवारी द्वारा शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी गयी।

मुलाकात के दौरान चीफ पोस्ट मास्टर जी0पी0ओ0 लखनऊ द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को श्रीराम जन्म भूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जारी डाक टिकट का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।



• 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 करोड़ 97 लाख रुपये नगद बरामद

दिनांक 06.03.2024 की रात्रि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—अतुल 2—अरुण कुमार 3—नितिन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 करोड़ 97 लाख रुपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.02.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अतुल निवासी बलभा मोहल्ला गरुल इण्टर कॉलेज के पास थाना उत्तरौला जनपद बलरामपुर, हालपता संजय नगर थाना मधुवन बापूधाम कमिशनरेट गाजियाबाद।

2—अरुण कुमार निवासी 14 भूड़ भारत नगर रामपुरी थाना विजयनगर कमिशनरेट गाजियाबाद।

3—नितिन निवासी सूर्य विहार कॉलोनी हिसाली रोड मुरादनगर कमिशनरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—01 करोड़ 97 लाख रुपये नगद।

जनपद कासगंज / थाना सिढ़पुरा

• पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 01 मोटर साइकिल

• 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 06 / 07.03.2024 की रात्रि थाना सिढ़पुरा व थाना पटियाली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिढ़पुरा—पटियाली रोड पर मोटर साइकिल सवार

बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1—शिवरतन 2—प्रवल उर्फ दीपू घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शिवरतन के विरुद्ध जनपद कासगंज के विभिन्न थानों पर हत्या, चोरी, हत्या का प्रयास, आम्सू एकट के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त प्रवल उर्फ दीपू के विरुद्ध चोरी, हत्या का प्रयास, आम्सू एकट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिद्धपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवरतन निवासी ग्राम रतनपुर थाना पटियाली जनपद कासगंज।

2—प्रवल उर्फ दीपू निवासी ग्राम पावल डेरा थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कुशीनगर/थाना रविन्द्रनगर धूस

• चोरी की घटना का अनावरण

• 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी के 09 हजार 500 रुपये नगद आदि बरामद

दिनांक 07.03.2024 को थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफसीआई गोदाम के पास से 03 अभियुक्तों 1—घनश्याम 2—अब्दुल हमीद 3—अरबाज

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 09 हजार 500 रुपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना रविन्द्रनगर धूस क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रविन्द्रनगर धूस पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—घनश्याम निवासी मस्जिद वाड थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया।
- 2—अब्दुल हमीद निवासी मानिराम सिकटौर थाना चिलुआ ताल जनपद गोरखपुर।
- 3—अरबाज निवासी नौसड़ थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

- 1—चोरी के 09 हजार 500 रुपये नगद आदि।

जनपद कौशाम्बी / थाना संदीपनघाट

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 150 किलोग्राम अवैध गांजा
 - 04 हजार 900 रुपये नगद
 - 03 मोबाइल फोन
 - 01 ट्रक बरामद

दिनांक: 06.03.2024 को थाना संदीपनघाट की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इमामगंज के पास से 02 अभियुक्तों 1—रूपेश बिसेन 2—रोशन पडुलकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 150 किलोग्राम अवैध गांजा, 04 हजार 900 रुपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना संदीपनघाट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रुपेश बिसेन निवासी गोंडी टोला वार्ड नं0—2 कटंगी टोला गोंदिया , महाराष्ट्र ।

2—रोशन पडुलकर निवासी कुडवा थाना रामनगर जनपद गोंदिया , महाराष्ट्र ।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 150 किलोग्राम अवैध गांजा ।

2—04 हजार 900 रुपये नगद ।

3—03 मोबाइल फोन ।

4—01 ट्रक ।

➤ जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50—50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अरनिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 / 34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—हेमन्त 2—महेन्द्र 3—ललित को सश्रम आजीवन कारावास व 50—50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

➤ जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50—50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 / 120 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—रणवीर 2—ओमसिंह 3—सौरभ को आजीवन कारावास व 50—50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

- जनपद मीरजापुर/थाना लालगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मीरजापुर द्वारा थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नित्यानन्द उर्फ सूरज को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद फतेहपुर/थाना हुसैनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सौखीलाल को 20 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद कौशाम्बी/थाना कड़ाधाम (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 18–18 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कड़ाधाम पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एकट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—दिवाकर 2—रवीन्द्र को 18–18 वर्ष के सश्रम कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

► जनपद हरदोई/थाना कछौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 32 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कछौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 डीपी एकट के अन्तर्गत अभियुक्त तेजपाल को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 32 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
